राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली संख्या – 33/प्रेस क्लिपिंग/5/2016/आर.यू.–III   दिनांक – 29.04.2016

<u>छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर एवं सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा 40 आदिवासी महिलाओं के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किये जाने संबंधी अंग्रेजी "आउटलुक" पत्रिका के 22–02–2016 के अंक में प्रकाशित समाचार की जाँच की रिपोर्ट</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रमांक 33/प्रेस क्लिपिंग/5/2016/आर.यू.–III दिनांक 18–03–2016 के क्रम में डॉ. रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक एवं सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी (भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय) का दल दिनांक 03–04–2016 को रायपुर पहुँचा। इस दल में श्री पी.के. दास, वरिष्ठ अन्वेषक (रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय) भी सम्मिलित हुए और दिनांक 04–04–2016 को हेलिकॉप्टर से बीजापुर जाकर इस प्रकरण की पीड़िताओं से जानकारी ली तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर उनके द्वारा की जा रही जाँच की प्रगति की समीक्षा की गई। दल द्वारा की गई जाँच का विवरण निम्नानुसार है:

1.0 **<u>पृष्ठभूमि:</u>** अंग्रेजी "आउटलुक" पत्रिका के दिनांक 22–02–2016 के अंक में "The Pegdapalli Files" शीर्षक से जगदलपुर से श्रीमती बेला भाटिया का लेख प्रकाशित हुआ था जो कि बस्तर की एक स्वतंत्र शोधकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा Women against Sexual Violence and State Repression (WSS) नामक संगठन से जुड़ी थीं जिसने छत्तीसगढ़ राज्य बस्तर अंचल के जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ व्यापक पैमाने पर बलात्कार, मार–पीट, यौन दुर्व्यवहार तथा लूट–पाट का मामला उठाया। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तीन घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है:

1.1 पहली घटना बीजापुर जिले के बासागुडा थाने के पेग्डापल्ली, चिन्नागेलूर, पेद्दागेलूर, गुंडेम और बुर्गीचेरू गांवों में नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों द्वारा 19–10–2015 से 24–10–2015 तक चले अभियान में पटेलपाडा की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार, मट्टेपाडा की एक महिला के साथ पानी में डुबा–डुबा कर सामूहिक बलात्कार और उसकी सास द्वारा अपनी

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मुर्गियाँ न देने पर उसके साथ भी मार–पीट कर बलात्कार किये जाने का उल्लेख है। यही नहीं, ग्राम पेद्दागेलूर और चिन्नागेलूर की 15 महिलाओं के साथ मार–पीट, यौन दुर्व्यवहार और धमकी दिये जाने का भी जिक्र किया गया है। लेख में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों की मुर्गी चुराने, पैसा लूटने तथा साबुन–तेल तक ले जाने की बात कही गई है। लेख में बताया गया है कि जिला कलेक्टर, बीजापुर को इन घटनाओं की सूचना दिये जाने और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने पर उन्होंने लेखिका के सहयोगी से पीड़िताओं को जिला मुख्यालय लाने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद 60–75 कि.मी. दूर स्थित गांवों के सरपंचो तथा मोटर साइकिल सवार शिक्षकों की मदद से कुछ पीड़िताओं को जिला मुख्यालय, बीजापुर लाया गया। बीजापुर में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक (नक्सल अभियान) की उपस्थिति में उन्होंने अपनी गवाही दी। इसके बाद 01–11–2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं अगले दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक द्वारा बयान दर्ज किये गये और उनका चिकित्सा परीक्षण कराया गया। लेख के अनुसार 90 दिन बीतने के बाद भी बासागुडा थाने द्वारा इन मामलों की जाँच पूर्ण कर चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की गई है।

1.2 प्रकाशित लेख में उक्त घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से कारित की गई दूसरी घटना का भी उल्लेख किया गया है जो कि बल्लमलेंद्रा ग्राम (जिसे नेण्ड्रा भी कहा जाता है) में घटी है। इसमें कहा गया है कि तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों द्वारा इसी थाने के नेण्ड्रा गाँव में 11–01–2014 से 14–01–2014 तक कैंप लगाया गया था। इस गाँव के चार पाड़ों में मुड़िया आदिवासियों के 98 घर हैं। Women against Sexual Violence and State Repression (WSS) नामक संगठन के जाँच दल द्वारा यहाँ पर सामूहिक बलात्कार की कम से कम 13 घटनाओं की जानकारी दी गई है। इनमें से 8 महिलाओं ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा पुलिस के सामने बयान दिया है जो इस गाँव के गोटुमपाड़ा की हैं जिसमें कुल 22 घर हैं। लेख में बताया गया है यहाँ की एक महिला के साथ 11–01–2016 को सुरक्षा बलों द्वारा उसके घर के पीछे स्थित बगीचे में सब्जी तोड़ते समय बलात्कार किया गया। आरोपियों ने उसके और अपने मुँह को काले कपड़े से ढ़क रखा था। उसकी आवाज सुनकर एक अन्य महिला वहाँ पहुँच गई और आरोपियों को डंडे से डराया। एक अन्य वृद्ध महिला भी वहाँ पहुँच गई तो वे भाग गए। इसके बाद उस वृद्ध महिला सहित पाड़े की 9–10 महिलाएँ पीड़िता के साथ हैंडपंप के पास गईं जहाँ सुरक्षा बल के लोग खाना बना रहे थे। उन्होंने गलत काम करने वालों के बारे में पूछ–ताछ की और उनके अधिकारी से बात कराने को कहा

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किन्तु उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। अगले दिन विरोध करने वाली इस महिला के घर भी सुरक्षा बल के 2 सदस्य अंधेरा होने पर आये और उसके साथ भी बलात्कार किया गया। उसकी आवाज एक रिश्तेदार ने सुन ली और डंडा तथा टॉर्च लेकर आये जिससे वे लोग भाग गये। लेख में गोटुमपाड़ा की ही कई अन्य महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार बलात्कार किये जाने का उल्लेख करते हुए कुछ आरोपियों के गोंडी भाषा बोलने एवं कुछ अन्य के हिन्दी बोलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 पीड़िताओं ने आरोपियों की पहचान पूर्व नक्सलियों के रूप में की है तथा अपने बयान में 4 व्यक्तियों के नाम का जिक्र किया है जिनमे से एक उनके अपने गाँव और पाड़े (गोटुमपाड़ा) का ही है। लेख में कहा गया है कि इससे संकेत मिलता है कि जिला आरक्षी गार्ड (जी.आर.डी), जो कि समर्पण करने वाले माओवादियों से बना सुरक्षा दस्ता है तथा गोंडी भाषी है और सामान्य भर्ती वाले सुरक्षा कर्मी, जिनमें से अधिकांश हिन्दी भाषी हैं, दोनों तलाशी अभियान में लगाये गये थे। लेख के अनुसार यहाँ पर कुछ अन्य महिलाओं ने भी बलात्कार, मार–पीट व डराने–धमकाने की शिकायत की है।

1.3 प्रकाशित लेख में एक तीसरी घटना का भी उल्लेख है जो कथित रूप से 11–01–2016 से लेकर 14–01–2016 तक पड़ोसी जिले सुकमा के कुन्ना गाँव के पेद्दापारा में घटी है जहाँ सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। लेख के अनुसार सुरक्षा बलों द्वारा 29 व्यक्तियों जिनमें कुछ महिलायें भी थीं, घेर कर खदेड़ते हुए एक कि.मी. दूर स्कूल में ले जाया गया। रास्ते में उन्हें पीटा गया और महिलाओं के कपड़े फाड़ दिये गये। मौखिक और शारीरिक लैंगिक उत्पीड़न किया गया। 6 महिलाओं पर गंभीर लैंगिक हमला किया गया और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। लेख में कहा गया है कि सुरक्षा बल अक्सर शिकायत करते हैं कि जब वे गाँवों मे जाते हैं तो घरों से पुरुष सदस्य भाग जाते हैं जो कि उनके अपराध का संकेत देता है। इस मामले में पुरुष सदस्य घर पर ही थे तथा उन्हें पकड़ कर उन पर पाशविक अत्याचार किया गया जिससे अगले दिन एक युवक की मृत्यु भी हो गई। लेख में यह भी कहा गया है कि यह केवल कल्पना है कि कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता और बस्तर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। थाने के स्तर पर रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया जाता है और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर पहले जाँच करने और उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही जाती है जो कि सी.आर.पी.सी की धारा 154 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इन मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना काफी कठिन काम था तथा पेद्दागेलूर गाँव के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना एक तरह की विजय ही कही जाएगी क्योंकि वर्ष 2013 में

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बलात्कार संबंधी कानून में संशोधन कर केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा इस प्रकार के अपराध संबंधी प्रावधान (सेक्शन–376 2सी भा.द.वि) जोडने के बाद देश में दर्ज हुआ यह पहला मामला है। लेख में यह भी बताया गया है कि काफी कठिनाइयों के बाद नेण्ड्रा और सुकमा जिले की दोनों घटनाओं में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा यह महत्वपूर्ण है कि उक्त घटनाओं की जाँच स्थानीय पुलिस, जिस पर स्वयं ही इन अपराधों में लिप्त होने का आरोप है, से लेकर किसी बाहरी एजेंसी को दे दी जाए। लेख में वर्ष 2005–06 के शुरूआती दिनों को भी याद किया गया है जब सलवा जुडुम के समय बलात्कार की 99 घटनाएँ हुई थी जिनमें से एक की भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। अब महिलाएँ इन घटनाओं के बारे में खुल कर बोल रहीं है किन्तु अभी भी पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा कारित अपराध क्षम्य होने की नीति जारी है।

2.0 **आयोग के द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाईः** अंग्रेजी "आउटलुक" पत्रिका के दिनांक 22–02–2016 के अंक में "The Pegdapalli Files" शीर्षक से जगदलपुर से भेजे गये श्रीमती बेला भाटिया के उक्त लेख में लगाए गये आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और आयोग के पत्र क्रमांक 33/प्रेस क्लिपिंग/5/2016/आर.यू.–।।। दिनांक 25–02–2016 द्वारा छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से इस मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को 10 दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। इस पत्र की प्रति सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर एवं आयोग के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी दी गई। नियत समय में उत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 11–03–2016 को एक स्मरण पत्र भी भेजा गया किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा। अतः आयोग ने संबंधित जिले में जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया।

आयोग के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय में भी दिनांक 02–11–2015 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में उक्त तीन घटनाओं में से पहली घटना के संबंध में समाचार प्रकाशित होने पर नोटिस संख्या 01/21/2015–16–अत्याचार दिनांक 02–11–2015 द्वारा बीजापुर जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से मामले की रिपोर्ट मांगी थी तथा उन्होंने क्रमशः पत्र दिनांक 05–02–2016 एवं 19–11–2015 द्वारा मामले में थाना बासागुड़ा में अपराध क्रमांक 22/15 अंतर्गत धारा 376 (2) (सी), 395, 354 (बी), 323, 294 भा.द.वि., धारा 6 पॉस्को एक्ट दर्ज होने और विवेचना जारी रहने की सूचना दी थी। आयोग मुख्यालय द्वारा अंग्रेजी "आउटलुक" पत्रिका के दिनांक 22–02–2016 के अंक में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लिये

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जाने और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से इस मामले में रिपोर्ट मांगे जाने के बाद आयोग के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

3.0 **WSS की सदस्य श्रीमती शालिनी गेरा, एडवोकेट के साथ चर्चा:** रायपुर पहुँचने पर श्रीमती शालिनी गेरा, एडवोकेट, जो कि Women against Sexual Violence and State Repression (WSS) नामक संगठन की सदस्य हैं, ने आयोग के मान्नीय अध्यक्ष से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा बीजापुर और सुकमा जिलों में व्यापक यौन हिंसा किये जाने की उक्त घटनाओं पर WSS की रिपोर्टें, सी.डी. आदि देते हुए आयोग से सी.बी.आई. या बस्तर से बाहर के पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच कराने, न्यायिक जाँच की अनुशंसा करने, इस प्रकार के संवेदनशील मामलों से मानवीय ढंग से निपटने की गाइडलाइन तैयार करने तथा पीड़िताओं के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही जाँच पर अविश्वास जताया।

4.0 **आयोग के दल का बीजापुर जिले का दौरा:** दिनांक 04–04–2016 को आयोग का दल प्रातः 9:00 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर से चल कर प्रातः 10:40 बजे बीजापुर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुँचा जहाँ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, बीजापुर ने दल का स्वागत किया।

4.1 **पीड़िताओं से चर्चा:** आयोग के दल को सुरक्षा कारणों से घटना स्थलों तक न जाने की सलाह दी गई थी इसलिए सभी पीड़ितों को बीजापुर बुलवाने हेतु स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सूचना दी गई थी। आयोग के दल को बताया गया कि कुछ पीड़िताएँ रोजगार हेतु निकटवर्ती तेलंगाना राज्य में चली गई हैं। आयोग के दल के समक्ष कुल 11 महिलाएँ उपस्थित हुईं जो ग्राम नेण्ड्रा गोटुमपाड़ा से आई थीं। दल ने सभी महिलाओं से बातचीत कर जानकारी ली तथा उनसे बातचीत हेतु एक अनुवादक की सहायता भी ली गई। इन महिलाओं में से 8 ने अपने साथ सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा बलात्कार किए जाने की बात कही। शेष 3 ने लूट–पाट और मार–पीट की शिकायत की। आयोग के दल के समक्ष उपस्थित हुई सभी महिलाओं ने लेख में वर्णित घटना की पुष्टि की।

4.2 **श्रीमती बेला भाटिया, स्वतंत्र शोधकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता से चर्चा:** आयोग के दल ने श्रीमती बेला भाटिया से भी चर्चा की जो कि स्वतंत्र शोध कर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे Women against Sexual Violence and State Repression (WSS) नामक संगठन से भी जुड़ी थीं तथा उन्हीं का लेख अंग्रेजी

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आउटलुक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने आयोग को विस्तार पूर्वक सभी घटनाओं के बारे में बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों में किस प्रकार आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, मार–पीट और लूट–पाट की गई। उन्होंने अपने लेख में बताई गई घटनाओं की पुष्टि की और स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक की गई जाँच को लीपा–पोती बताया।

4.3 <u>जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बीजापुर से चर्चा:</u> आयोग के दल ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बीजापुर से इन घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और बीजापुर जिले के दोनों मामलों में अब तक की गई कार्रवाई और जाँच की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में सुकमा जिले के कुन्ना गाँव के पेद्दापाड़ा की घटना के संबंध में भी वहाँ से आए पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। इस प्रकार तीनों घटनाओं के संबंध में आयोग को दी गई रिपोर्ट में निम्नानुसार जानकारी दी गई:

4.3.1 बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाने के अंतर्गत ग्राम चिन्नागेलूर व पेद्दागेलूर की आदिवासी महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों द्वारा सामूहिक बलात्कार और मार–पीट की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बीजापुर द्वारा आयोग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार थाना बीजापुर में प्रार्थिया श्रीमती बेला भाटिया माता श्रीमती संतोष भाटिया, उम्र 52 वर्ष, साकिन लेखिका समाज शास्त्रीय शोधकर्ता, प्रथम मंजिल, पीला मकान, रिजवी अस्पताल के सामने, वृंदावन कालोनी, जगदलपुर ने दिनांक 01–11–2015 के 21:10 बजे रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिया लेखिका समाज शास्त्रीय शोधकर्ता का कार्य करती हैं। प्रार्थिया को स्थानीय पत्रकारों से जानकारी मिली कि लैंगिक हिंसा, बलात्कार व यौनिक हमले, मारपीट, गाली–गलौच एवं धमकियाँ तथा घरों में लूटपाट व तोड़फोड़ की घटना बासागुड़ा के पास सुरक्षा बल व पुलिस द्वारा की गई। दिनांक 30–10–2015 को प्रार्थिया की टीम द्वारा घटना के संबंध में जाँच करने हेतु बासागुड़ा, सारकेगुड़ा पहुँचकर ग्रामवासियों से बात की जिन्होंने बताया कि 19, 20 अक्टूबर 2015 से 24 अक्टूबर 2015 के मध्य सुरक्षा बल के 03–04 दस्ते गाँव में गश्त सर्चिंग के लिए गये थे जिनके द्वारा गाँव की महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा की गई है। घटना स्थल 65 कि.मी. दक्षिण ग्राम चिन्नागेलूर, पेद्दागेलूर, गुण्डम एवं बुड़गीचेरू की महिलाओं के बयान दर्ज किये गये तब यौनिक हिंसा, मारपीट एवं लूटपाट की वारदात मालूम हुई। प्रार्थिया की टीम ग्राम चिन्नागेलूर होते हुए पेद्दागेलूर पहुँची, जहाँ गाँववासियों तथा पीड़ित महिलाओं से बात की तथा कुछ पीड़ितों के बयान का विडियोग्राफ लिया गया। प्रार्थिया की टीम ने जाँच में पाया कि एक बालिका उम्र 14 वर्ष साकिन

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पेद्दागेलूर पटेलपारा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। यह बालिका एवं कुछ अन्य महिलायें दिनांक 21–10–2015 को गाय चरा रही थीं, सुरक्षा बलों द्वारा उनको घेरकर बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया एवं अन्य महिलाओं को भगा–भगा कर मारपीट की गई। इनमें से एक महिला बालिका की महिला पैरोकार लगती है, बालिका बचपन से उनकी देखरेख में थी क्योंकि उसकी माँ का देहांत हो गया था। बालिका ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा उसको पकड़ने के बाद वह बेहोश हो गई थी। पेद्दागेलूर गाँव में एक और महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर 2015 को एक पीड़िता को नदी में बार–बार डूबा कर निर्वस्त्र कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो उस वक्त गर्भवती थी। इन सभी गाँव में बहू, औरतों के साथ लैंगिक हिंसा की वारदातें सामने आई हैं, ग्राम चिन्नागेलूर व पेद्दागेलूर में कम से कम 15 औरतों के साथ ऐसा हुआ है, ग्राम गुण्डम व बुड़गीचेरू में भी ऐसी घटना की जानकारी मिली है। इन घटनाओं के औरतों के ब्लाउज फाड़े गये, उनकी साड़ी/लुंगी उठाई गई, उनकी जांघों पर डण्डे से मारा गया तथा उनके साथ और अधिक हिंसा करने की धमकी दी गई। घटना की रिपोर्ट पर थाना बीजापुर में अपराध क्रमांक 00/2015 धारा– 376 (2) (सी), 395, 354 (बी), 323, 294 भा.द.वि., पॉस्को एक्ट 2012 की धारा 6 कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। घटनास्थल थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत होने से थाना बासागुड़ा में दिनांक 04–11–2015 को असल नंबरी अपराध क्रमांक 22–2015 धारा– 376 (2)(सी), 395, 354 (बी), 323,294 भा.द.वि., पॉस्को एक्ट 2012 की धारा 6 कायम किया जाकर अग्रिम विवेचना में लिया गया है।

आयोग को यह जानकारी भी दी गई है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आदेश क्रमांक/पु.अ./बीजापुर /रीडर/अप. आदेश/152/2015 दिनांक 02–11–2015 के तहत् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर के पर्यवेक्षण में 03 सदस्यीय अनुसंधान टीम गठित किया गया है, जिनके द्वारा विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण के घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 06–11–2015 को किया गया। दिनांक 27–12–2015 को घटनास्थल ग्राम पेद्दागेलूर जाकर एक पीड़िता द्वारा घटना के समय पहने कपड़े लहंगा एवं शर्ट को पेश करने पर जप्त किया गया है साथ ही 25 ग्रामवासियों से पूछताछ कर कथन लिया गया है।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विवेचना के दौरान बेला भाटिया माता संतोष भाटिया सहित कुल 24 गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया है। शेष गवाहों को तलब करने वास्ते सूचना भेजा गया है, सूचना के बाद भी गवाह विवेचना टीम के सामने उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिन्हें और प्रयास कर उनका कथन लिया जावेगा। प्रकरण में सभी पीड़ित एवं पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण करया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रकरण की तीन पीड़िताओं का धारा– 164 जा.फौ. के तहत कथन लेखबद्ध कराया गया है साथ ही प्रकरण में जप्त प्रदर्शो (गुप्तांग का वेजिना सीमन स्लाईड) का परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। घटना दिनांक एवं आसपास 19–10–2015 से 24–10–2015 तक जो–जो पुलिस पार्टियां एवं अर्द्धसैनिक बल की जो–जो टुकड़ियाँ घटनास्थल एवं आसपास गश्त एवं भ्रमण के लिये गई हैं उनकी संबंधित अधिकारी से सूची प्राप्त की गई है, जिसमें से निरीक्षक लक्ष्मण केंवट थाना आवापल्ली, निरीक्षक रामेश्वर देशमुख रक्षित केंद्र बीजापुर, निरीक्षक रमाकांत तिवारी रक्षित केंद्र बीजापुर का कथन लिया गया है। प्रकरण के पीड़िता द्वारा घटना के समय पहने लहंगा एवं शर्ट को जप्त किया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजी गई थी, जिसकी जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

दिनांक 29–01–2016 को बुड़गीचेरू की 19 महिलाओं से घटना के संबंध में पूछताछ कर जानकारी लिया गया, कोई खास जानकारी नही मिली है।

दिनांक 18–02–2016 को साप्ताहिक बाजार आवापल्ली में 8 गवाहों के आने के संबंध में सरपंच राजू गट्पल्ली से पूछताछ की गई, बाजार में नहीं आना बताये। इसी तरह दिनांक 19–02–2016 को बासागुड़ा साप्ताहिक बाजार में पतासाजी कराया किया गया किन्तु नहीं मिले, मिलने पर कथन लिया जाएगा। दिनांक 04–03–2016 को गवाहों का बासागुड़ा साप्ताहिक बाजार में पतासाजी किया गया किन्तु पता नहीं चला। दिनांक 16–03–2016 को नक्सली गश्त सर्चिंग में जाने वाले सहायक उप निरीक्षक मुरली ताती, प्रधान आरक्षक 1455 पुल्ला गोपाल, प्रधान आरक्षक क्रमांक 243 कृष्णा जब्बा, प्रधान आरक्षक क्रमांक 143 तिरूपति पुनमे से पूछताछ कर कथन लिया गया है अन्य तथा केरिपु बल के जवानों का कथन लिया जाना है। वर्तमान में प्रकरण विवेचनाधीन है।

4.3.2 दूसरी घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बीजापुर द्वारा आयोग की दी गई रिपोर्ट के अनुसार थाना बीजापुर में प्रार्थिया महिला निवासी पटेलपारा नेण्ड्रा, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर द्वारा दिनांक 21–01–2016 के 22:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम नेण्ड्रा थाना बासागुड़ा में इस महीने की 11 तारीख दिन सोमवार

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

को पुलिस और फोर्स वाले आये थे और 14 तारीख दिन गुरूवार तक गाँव में रूके थे, इन चारों दिनों में फोर्स वालों ने गाँव में लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें मारा–पीटा, उनके साथ बुरी तरह से यौनिक हिंसा और दर्जन भर से ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार हुआ है। गाँव में जो हुआ उसका विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है:–

1. यौनिक हिंसा एवं बलात्कार– 13 महिलाओं के साथ यौनिक हिंसा हुई है जिनमें कपड़े ऊपर करना, कपड़ा फाड़कर भगाना, ब्लाउज फाड़ना, यौनिक गालियाँ देना, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को दिखाने को कहना, कपड़ा फाड़कर देखना, सामूहिक बलात्कार, स्तन से दूध निचोड़ना आदि। ऐसा सब पुलिस और फोर्स वालों ने बहुत औरतों से किया है। पीड़िताओं के नाम का उल्लेख किया गया है।
2. मार–पीट– सुरक्षा बलों ने बहुत सारी महिलाओं को डण्डा लेकर मारा है। 5 पीड़िताओं के नाम का उल्लेख है। महिलायें मुर्गी या बच्चों को बचाने जातीं तो उनके पीछे दौड़कर मार–पिटाई किये हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को भी मारे और सब को डण्डे मारकर बोले कि मारेंगे, और मुर्गी बचाओगे, लोग मुर्गी–बकरा के लिए पैसा मांगे तो और ज्यादा पीटा गया।
3. लूट–पाट– यह भी बताया गया कि गाँव में बहुत लूट–पाट हुई है। अलग–अलग घरों से 175–200 मुर्गियों को पुलिस और फोर्स वाले खा गये। बकरी, सुअर भी बहुत से मारे, कबतूर भी मारे और पकाये। लोग मिर्ची चुनने के लिए काम ढूँढ़ने की तैयारी में राशन की दुकान से ज्यादा चावल लाये थे वो सब भी फोर्स और पुलिस वाले खा गये। कुवासी उंगा के घर से 5000/– रुपये ले गये। पदम आएती की जिंदगी की 10,000/– रुपये की बचत चुराये। घर–घर से प्याज, लहसुन, हल्दी, मिर्ची, नमक, टार्च, पैंट भी पुलिस और फोर्स वाले ले गये। इस तरीके से गाँव में 5 लाख से ऊपर का नुकसान अंदाजन हुआ है। पुलिस फोर्स वालों की जबरदस्ती की मार–पिटाई के कारण गाँव वालों को यहाँ–वहाँ भागना पड़ा, हमारे 11 आदमी वापस गाँव नहीं आये हैं, हमें उनके लिए चिंता है। इस घटना से गाँव में बहुत नुकसान हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए दरख्वास्त है कि घटना की पूरी वारदातों को देखते हुए पूरी धारायें लगाई जायें और इस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर जल्द से जल्द न्याय मिले। कुल 14 पीड़ितों ने आवेदन पर हस्ताक्षर किये है घटना की रिपोर्ट पर अज्ञात पुलिस, सुरक्षा बल के विरूद्ध थाना बीजापुर में अपराध क्रमांक 00/2016 धारा 376 (2) (C) (2) (A) (III), 376 (D) 354, 354 (B), 323, 395 भा.द.वि. कायम किया गया है। घटनास्थल थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत होने से दिनांक 27–01–2016 के

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

17:20 बजे थाना बासागुड़ा में असल नंबरी अपराध क्रमांक 03/2016 धारा 376 (2) (C) (2) (A) (III), 376 (D) 354, 354 (B), 323, 395 भा.द.वि. कायम किया जाकर अग्रिम विवेचना में लिया गया।

आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक/पु.अ./बीजापुर/रीडर/अप./आदेश/20/2016 दिनांक 28–01–2016 के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर के पर्यवेक्षण में 03 सदस्यीय अनुसंधान टीम गठित किया गया है, जिनके द्वारा विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में 8 पीड़िताओं का शासकीय जिला अस्पताल बीजापुर में बलात्कार की जाँच हेतु चिकित्सा परीक्षण कराया गया तथा 2 घायलों की चोटों का भी वहीं पर मुलाहिजा कराया गया है। 1 पीड़िता का एक्स–रे कराना है जो अभी तक नहीं आई है। प्रार्थिया, पीड़िता एवं आहत को कथन के लिये धारा– 160 द.प्र.सं. के तहत नोटिस दिया गया, परन्तु उनके द्वारा लिखित में 157 द.प्र.सं. के अंतर्गत दिनांक 29–01–2016 को तिमापुर पोटा केबिन में बयान दर्ज कराना लेख की है।

प्रकरण की पीड़िताओं के गुप्तांग की स्लाईड एवं एक पीड़िता के घटना के समय पहने कपड़े पेश करने पर जप्त किया गया है, जिनका परीक्षण कराना शेष है। दिनांक 29–01–2016 को प्रार्थिया, पीड़िता एवं आहत का कथन लेने हेतु सुरक्षा व्यवस्था के साथ तिमापुर पोटा केबिन गये थे, परंतु प्रार्थिया, पीड़िता एवं आहत कथन देने हेतु उपस्थित नहीं थे, जिस वजह से कथन नहीं लिया जा सका है। दिनांक 02–02–2016 को मौका ग्राम नेण्ड्रा गुट्टुमपारा नेण्ड्रा, मसोड़पारा नेण्ड्रा जाकर पीड़िता व गवाह साकिन के समक्ष बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शेष पीड़िता नहीं मिलने से घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया जा सका। प्रकरण के पीड़िताओं व गवाहों में कुल 15 लोगों से पूछताछ कर कथन लिया गया है।

प्रकरण की 5 पीड़िताओं को उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बीजापुर के कार्यालय में कथन हेतु उपस्थित होने के संबंध में नोटिस दिया गया था, परंतु कथन देने हेतु उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में दिनांक 18–02–2016 को आवापल्ली बाजार में गवाहों के बारे में बाजार में आये ग्रामीणों से

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पूछताछ कर पता किया, आवापल्ली बाजार में नहीं आना बताये। इसी तरह दिनांक 19–02–2016 को बासागुड़ा बाजार में गवाहों का पतासाजी सरपंच राजू गट्पल्ली के माध्यम से किये, किंतु बाजार में नहीं आना बताये। गवाहों को कथन हेतु उपस्थित होने बाबत् पृथक से नोटिस जारी किया जाता है बाद मिलने पर कथन लिया जावेगा। दिनांक 29–02–2016 को प्रकरण में माल परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजी गई है, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है। दिनांक 05–03–2016 को हमराह स्टाफ के ग्राम गुट्टूमपारा नेण्ड्रा, मसोड़पारा नेण्ड्रा, पटेलपारा नेण्ड्रा जाकर, प्रार्थिया, आहता एवं पीड़िता का पता तलास किये, किन्तु नहीं मिलने से उपस्थित होने के संबंध में ग्राम वासियों को सूचना दिये बाद में ग्राम सरपंच को प्रार्थिया, आहता एवं पीड़िता उपस्थित करने बाबत नोटिस दिये। दिनांक 09–03–2016 को हमराह स्टाफ के रवाना होकर तिमापुर पोटा केबिन गये जहाँ प्रार्थिया, आहता एवं पीड़िता नहीं मिलने से कथन नहीं लिया जा सका। दिनांक 16–03–2016 को आरक्षक 516 के माध्यम से धारा– 164 जा.फौ. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध करने हेतु तिथि निर्धारित करने के लिये न्यायालय दंतेवाड़ा भेजा गया था, किन्तु मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीजापुर से कथन लेखबद्ध कराने निर्देशित किया गया। दिनांक 17–03–2016 को ग्राम नेण्ड्रा पटेलपारा गये, जहाँ प्रार्थिया से पूछताछ कर कथन लिया गया। प्रार्थिया द्वारा कपड़े, ब्लाउज, पेटीकोट, प्रिंटदार लूंगी को पेश करने पर वजह सबूत के जप्त किया गया। अन्य गवाहों का पता तलाश किया गया किन्तु नहीं मिलने से कथन देने हेतु नोटिस दिया गया। दिनांक 21–03–2016 को मान्नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीजापुर से प्रार्थिया तथा पीड़िता का धारा– 164 जा.फौ. का कथन लेखबद्ध कराने हेतु समंस जारी कराया गया। तहसीलदार, उसूर को पटवारी नक्शा प्रदाय करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया तथा जप्तशुदा कपड़े का मुलाहिजा हेतु शासकीय जिला अस्पताल, बीजापुर भेजा गया। दिनांक 30–03–2016 को ग्राम तिमापुर में जन समस्या निवारण शिविर होने से पीड़िता, गवाहों की आने की संभावना पर ग्राम तिमापुर गये जहाँ पर पीड़िता एवं गवाह नहीं मिलने से कथन नहीं लिया जा सका है। दिनांक 31–03–2016 को मान्नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीजापुर के न्यायालय में 4 पीड़िताएं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध कराने हेतु उपस्थित नहीं हुईं, जिससे उन के विरूद्ध दिनांक 11–04–2016 को उपस्थित होने बाबत जमानतीय वारंट जारी किया गया है। वर्तमान में प्रकरण विवेचनाधीन है।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4.3.3 जिला सुकुमा के ग्राम कुन्ना पेद्दापारा में घटी तीसरी घटना जिसमें पुलिस फोर्स द्वारा दिनांक 12–01–2016 को सर्चिंग के दौरान ग्रामीण महिलाओं के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार का आरोप है, के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सुकुमा की आयोग को दी गई रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका श्रीमती सोनी सोढ़ी, संयोजक आम आदमी पार्टी, बस्तर संभाग एवं ग्राम कुन्ना पेद्दापारा थाना कुकानार की पीड़ित महिलाएं दिनांक 15–01–2016 को कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 12–01–2016 को ग्राम कुन्ना, पेद्दापारा में पुलिस फोर्स के द्वारा सर्चिंग के दौरान ग्रामीण महिलाओं के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार करने के संबंध में शिकायत किये थे। उपरोक्त शिकायत पुलिस अधीक्षक, सुकुमा के कार्यालय को दिनांक 16–01–2016 को जाँच हेतु प्राप्त हुई थी। दिनांक 16–01–2016 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्स. आप्स), जिला सुकमा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँचकर्ता अधिकारी के द्वारा शिकायत की जाँच की जा रही थी कि दिनांक 27–01–2016 को ग्राम कुन्ना पेद्दापारा की कई पीड़ित महिलाओं के द्वारा थाना कुकानार आकर रिपोर्ट दर्ज करने लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके आवेदन के आधार पर दिनांक 27–01–2016 को थाना कुकानार में अज्ञात फोर्स के जवान के विरूद्ध अपराध क्रमांक 02/2016 धारा 294, 323, 354 (ख) भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। तथा दिनांक 27–01–2015 को ही 6 पीड़ित महिलाओं का जिला चिकित्सालय सुकमा के महिला चिकित्सक से मेडीकल परीक्षण कराया गया। उक्त प्रकरण महिलाओं के प्रति कारित अपराध होने तथा थाना कुकानार में महिला विवेचना अधिकारी पदस्थ नहीं होने से प्रकरण की विवेचना रक्षित केन्द्र हाल शहीद सेल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सुकमा में पदस्थ स.उ.नि. सरिता मानिकपुरी को सौपा गया। विवेचना दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04–02–2016 को समस्त पीड़ित महिलाओं का कथन लिया गया है। पीड़ित महिलाओं का धारा 164 सीआरपीसी के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु मान्नीय जेएमएफसी महोदय, बचेली, जिला दंतेवाड़ा को आवेदन दिया गया जिसमें मान्नीय मजिस्ट्रेट महोदय ने पीड़ित महिलाओं का कथन हेतु दिनांक 03–03–2016 के 11:00 बजे न्यायालय में उपस्थित होने समय निर्धारित किया गया। पीड़ित महिलाओं को लेकर थाना सुकमा का बल मान्नीय जेएमएफसी न्यायालय, बचेली लेकर गई थी। किन्तु मान्नीय मजिस्ट्रेट महोदय के अवकाश में होने के कारण पीड़ित महिलाओं का कथन नहीं हो पाया है। दिनांक 13–03–2016 को विवेचना अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाह हुंगाराम पोड़ियामी (उपसरपंच ग्राम पंचायत कुन्ना) एवं भीमाराम कुहरामी (सचिव ग्राम पंचायत कुन्ना) का कथन दर्ज किया गाय है। दिनांक 01–04–2016 को समस्त पीड़ित

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

महिलाओं का धारा 164 सीआरपीसी के तहत मान्नीय जेएमएफसी महोदय बचेली, जिला दंतेवाड़ा के न्यायालय में कथन दर्ज कराया गया है। प्रकरण में अन्य विवेचना कार्रवाई लगातार जारी है।

5.0 <u>छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा</u>: दिनांक 05–04–2016 को आयोग के दल ने प्रातः 11:00 बजे सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), आयुक्त, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के साथ इन मामलों की जाँच के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की।

6.0 <u>आयोग के दल का निष्कर्ष</u>: इन मामलों में आयोग द्वारा की गई जाँच के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:

1. स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक की गई जाँच की प्रगति असंतोषजनक है। अभी तक सभी पीड़ितों एवं गवाहों के बयान नहीं हो पाये हैं। इसमें तेजी लाने की जरूरत हैं।
2. आयोग ने यह बात गंभीरता से ली है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब किया गया तथा चिकित्सा परीक्षण भी देर से किया गया जिससे साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं।
3. आरोपी सुरक्षा बलों की पहचान करने में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। केवल जिला पुलिस एवं सी.आर.पी.एफ के जवानों की सूची ही प्राप्त की गई है।
4. इन तीनों मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की सुसंगत धाराएं नहीं लगाई गई हैं जबकि इनमें सुरक्षा बलों (संस्था) के सदस्य आरोपी हैं। इसके पीछे आरोपियों के अज्ञात रहने की वजह बताई गई है जबकि सभी पीड़ित अनुसूचित जनजाति के हैं। इसकी वजह से पीड़ित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथा संशोधित) राहत राशि से वंचित हो जायेंगे जो उचित नहीं है।
5. पीड़ितों, क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही जाँच पर विश्वास नहीं है और उनका मत है कि जिन पर आरोप है, वही जाँच भी कर रहे हैं। अतः जाँच को विश्वसनीय बनाने के लिए जिला पुलिस के स्थान पर सी.आई.डी. या न्यायिक जाँच कराई जानी चाहिये।
6. क्षेत्र में तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों के दस्ते आदिवासियों के गाँवों में रुकते हैं। उनके आने की खबर मिलते ही पुरुष मार–पीट के डर से गाँवों से

रामेश्वर ओरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भाग जाते हैं और घरों में महिलाएं और बच्चे ही रह जाते हैं। सुरक्षा बल उनके घरों में रहते हैं जिससे इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं और बलात्कार, छेड़छाड, मार–पीट व लूट–पाट के आरोप लगते हैं। अतः इन दस्तों को गाँवों से दूर रुकना चाहिए।

7. तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों में केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस के सदस्य रहते हैं किन्तु इसमें महिला पुलिस कर्मी नहीं रहते। यदि इन अभियानों में महिला पुलिस भी साथ रहे तो सुरक्षा बलों द्वारा किये जाने वाले यौन अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है।
8. आम तौर पर आदिवासियों द्वारा शिकायत की गई है कि सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा आदिवासियों की मुर्गियाँ और बकरियाँ छीन ली जाती हैं और उन्हें उसका मूल्य मांगने पर मार–पीट की जाती है। यहाँ तक कि उनके घरों से चावल, गहने व पैसे भी छीन लिये जाते हैं। इसका कारण सुरक्षा बलों, विशेष रूप से राज्य पुलिस के जवानों को तलाशी अभियानों में जाते समय पर्याप्त मात्रा में रसद प्रदान न किया जाना है। उन्हें 600/– मासिक भत्ता मिलता है, जबकि केन्द्रीय बलों को 2400/– प्रति माह भत्ता व रसद प्राप्त होती है।
9. पुलिस द्वारा कराए गए चिकित्सा परीक्षणों में से कुछ में महिलाओं के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है।

7.0 <u>संस्तुतियाँ</u>: आयोग के जाँच दल द्वारा की गई जाँच में पाए गए तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार से निम्नलिखित संस्तुतियाँ की जाती हैं:

1. इन घटनाओं की जाँच स्थानीय पुलिस के स्थान पर राज्य सी.आई.डी. द्वारा कराई जाए।
2. यह जाँच तीव्र गति से पूरी की जाये और आरोपियों की पहचान के लिए प्रयास तेज किये जाएं।
3. इन तीनों मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की सुसंगत धाराएं नहीं लगाई गई हैं जबकि इनमें सुरक्षा बलों (संस्था) के सदस्य आरोपी हैं। चूँकि सभी पीड़ित अनुसूचित जनजाति के हैं अतः इन मामलों में उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराएं लगाई जाएं।
4. चूँकि सभी पीड़ित काफी गरीब हैं अतः राज्य शासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये ताकि नुकसान की भरपाई हो सके।
5. तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों के दस्ते आदिवासियों के गाँवों में रुकते हैं। उनके आने की खबर मिलते ही पुरुष मार–पीट के डर से गाँवों से भाग जाते हैं और घरों में महिलाएं और बच्चे ही रह जाते हैं। सुरक्षा बल उनके

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

घरों में रहते हैं जिससे इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं और बलात्कार, छेड़छाड, मार–पीट व लूट–पाट के आरोप लगते हैं। अतः इन दस्तों को गाँवों से दूर रुकने और आदिवासियों के घरों में किसी भी हाल में न ठहरने के निर्देश जारी किये जाएं।

6. आयोग को तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों में अधिकारियों के अधीनस्थों पर नियंत्रण कि कमी महसूस हुई। यदि अधिकारी अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं रोकी जा सकतीं। अतः सुरक्षा बलों में अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
7. तलाशी अभियान में लगे केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस के सुरक्षा बलों में महिला पुलिस को भी साथ रखा जाये ताकि सुरक्षा बलों द्वारा किये जाने वाले यौन अपराधों की संभावना न रहे।
8. सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा कथित रूप से आदिवासियों की मुर्गियाँ और बकरियाँ, चावल, गहने व पैसे छीनने की शिकायतों को देखते हुए सुरक्षा बलों, विशेष रूप से राज्य पुलिस के जवानों को तलाशी अभियानों में जाते समय पर्याप्त मात्रा में रसद प्रदाय किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को 2400/– प्रतिमाह रसद (खुराक) भत्ता दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार पुलिस बलों के जवानों को 600/– मासिक रसद (खुराक) भत्ता देती है। इसे समतुल्य किया जाना चाहिये।
9. माओवाद विरोधी अभियानों में लगे केन्द्रीय व राज्य सरकार के सुरक्षा बलों के सदस्यों को आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उपाय किये जाएं और इसे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये। साथ ही सुरक्षा बल के सदस्यों ने आदिवासियों के अधिकारों और उन्हें प्राप्त सुरक्षणों संबंधी जानकारी का भी प्रचार प्रसार किया जाये।
10. नक्सलियों से पीड़ित आदिवासियों के पुनर्वास हेतु विशेष पैकेज वाली योजनाएं चलाई जाएं जिसमें उन्हें मकान बनाने के लिए मदद, राशन, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था शामिल हो।

––x––

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi